

कार्यालय प्रमुख अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल ।

क्रमांक ६८३

/०७/प्र०अ०/ल०स्वा०या०वि०/भोपाल, दिनांक १०-५-८५

तकनीकी परिपत्र

कठिपय प्रकरणों में परिलक्षित हुआ है कि भण्डारों के संबंध में विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों, समय समय पर प्रसारित दिशा निर्देशों एवं मैन्युअल में किये गये प्रावधानों का परिपालन नहीं किया जाता है जिसके कारण विभिन्न जटिलताओं का सामना करना पड़ता है तथा शासन एवं मुख्य तकनीकी परीक्षक स्तर पर लम्बित प्रकरणों के निराकरण में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। इनके परिपालन न होने की स्थिति अधिकारी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे, यह बात ध्यान में रखी जावे।

१. भण्डार के संधारण हेतु वार्षिक प्रावक्कलन या तो बनावे ही नहीं जाते या नियमानुसार सक्षम (कम्पीटेन्ट) अधिकारियों द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाते।
२. भण्डार के रख रखाव हेतु, प्रदत्त आवंटनों से अधिक व्यय किया जावा है।
३. लघु उद्योग निगम की आरक्षित सूची वाली सामग्री को, बिना लघु उद्योग निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, अन्य माध्यम से क्रय कर ली जाती है।
४. टी.एण्ड.पी. सामग्री के क्रय के पूर्व प्रावक्कलन की स्वीकृति सक्षम (कम्पीटेन्ट) अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिये, तत्पश्चात आवंटन प्राप्त किया जाना चाहिये एवं आवंटन की सीमा तक ही क्रय सीमित रखा जाना चाहिये।
५. भण्डार में उपलब्ध सामग्री के इशु रेट का निर्धारण एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर कर दिया जाता है जो पूर्व रूप से त्रुटिपूर्ण है। इशु रेट के निर्धारण हेतु भण्डार संधारण पर हुये वास्तविक व्यय को अनुपातिक रूप से सभी सामग्रियों के मूल्यों में जोड़कर इशु रेट की गणना की जाना चाहिए।
६. भण्डार हेतु सामग्री प्राप्त करने हेतु निर्धारित क्रय प्रक्रियाओं, प्रदत्त अधिकारों एवं तत्कालिक वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये ताकि क्रय की गई सामग्री अधिक समय तक भण्डार में अनुपयोगी न पड़ी रहे तथा शासकीय धन का अपव्यय न हो।
७. भण्डार में अधिक समय से पहीं सामग्री के उपयोग हेतु अन्य खण्डों से सम्पर्क स्थापित कर, आवश्यकतानुसार उन्हें प्रदाय किये जाने हेतु त्वरित कार्यवाही सम्पादित की जानी चाहिए।

8. जो सामग्री कालान्तर में अनुपयोगी हो गई हो, प्रदत्त अधिकारों के अनुसार "राईट ऑफ" की जानी चाहिये तथा इसके पश्यात इसके डिस्पोजल हेतु नीलामी जैसी कार्यवाही कर, प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा किया जाना चाहिये।
9. भण्डार की सामग्री को आवश्यकतानुसार ही कार्यों को हस्तान्तरित किया जाना चाहिये तथा प्राप्ति एवं इशु हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिये।
10. उपलब्ध सामग्री का निर्धारित अवधि में विभिन्न उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्याग्रह सुनिश्चित किया जाना चाहिये तथा सभी रिकार्ड सुरक्षित रखें जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्य प्रदेश भोपाल।

प.क./ 6733/07/प्र.अ./लो.स्वा.या.वि./भोपाल, दिनांक 10-4-06

प्रतिलिपि :-

मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिष्केत्र भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।

समस्त अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल

समस्त कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्य प्रदेश भोपाल।